न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय बंटवारा वाद सं0-02/20
अवर न्यायाधीश सीआईएस संख्या -02/20
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** दिनांक 29.02.2024

दिनांकः 29.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामलें में पक्षकारों की हाजिरी है । प्रस्तुत आवेदन वादी की तरफ से व्यवहार प्रकिया संहिता के 39 नियम 1 और 2 तथा धारा 151 पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में वादी ने अपने दिनांक 23.01.2020 के आवेदन में अस्थायी ब्यादेश की प्रार्थना की है। उसने कहा कि प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के पक्का और कच्चा निर्माण करने से मुकदमे के निस्तारण तक रोकने की कृपा करें। अतः मामले में अस्थायी ब्यादेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उभय पक्षों को सुना। मामले का अनुशीलन किया। मामले के अनुशीलन के पश्चात न्यायालय व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 39 नियम 1 के अनुसार ***वे दशाएं जिनमें अस्थायी ब्यादेश दिया जा सकेगा जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि (क) वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संकांत करेगा, या डिकी के निष्पादन में उसका सदोष विकय कर दिया जाएगा, अथवा (ख) प्रतिवादी अपने लेनेदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है आश्य रखता है, (ग) प्रतिवादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वाद को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरूद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी ब्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संकान्त किए जाने, विकय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद को निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाए।***

प्रस्तुत मामले में उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में वादी ने अस्थायी ब्यादेश का आवेदन प्रचालित न करने का निर्णय दिनांक 29.02.2024 को किया है तद्नुसार उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में अस्थायी ब्यादेश के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त तथ्य नहीं है अतः आवेदन प्रचालित न करने के कारण वादी का आवेदन अंतर्गत धारा 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 151 **अस्वीकृत** किया जाता है। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक .... वास्ते वादी अग्रिम कार्रवाई।

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।